पशुपालन विभाग के कार्मिकों पर दमनात्मक कार्यवाही का आरोप

■ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

उदयुपर । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि पशुपालन विभाग में कुछ अव्यवहारिक नवाचारों के कारण विगत 6 माह से भय का वातावरण बना हुआ है जिससे विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। शासन द्वारा मोबाईल ऐप के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाने का अव्यवहारिक/अतार्किक निर्णय लिया गया था, विभाग में ऑनलाईन उपस्थिति के नाम पर कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ की जा रही है। माननीयमोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाने के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल ने बताया कि शासन द्वारा बलपूर्वक उक्त व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से विभाग के लगभग 30 निर्दोष कार्मिकों को अकारण निलम्बित कर विभाग में तनाव उत्पन्न कर दिया है। महिला पशुधन निरीक्षकों को वीडियों कॉल के माध्यम से उपस्थिति हेतु विवश किया जा रहा है जो महिलाओं की निजता पर हमला है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, महासंघ का प्रमुख घटक संगठन है। अव्यवहारिक नवाचारों के कारण पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों पर हो रही दमनात्मक कार्यवाही को महासंघ बर्दाश्त नहीं कर सकता।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला महामंत्री लच्छीराम गुर्जर ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने निर्णय लिया है कि दो दिवस में पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों की निलम्बन बहाली तथा दोषी अधिकारियों पर ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी 26 मार्च 2025 से फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में समस्त ऑनलाईन कार्यो का बहिष्कार किया जावेगा जिसकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। ।

टीबी का उन्मूलन संभव का संदेश दिया

उदयपुर । भारत को क्षय रोग (टीबी) से मुक्त करने के उद्देश्य से विश्व टीबी दिवस के अवसर पर पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के श्वसन रोग विभाग द्वारा एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस वर्ष टीबी दिवस की थीम "हाँ! हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हों, निवेश करें, परिणाम दें" रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह संदेश देना है कि सामूहिक प्रयास और जागरूकता के साथ टीबी का उन्मूलन संभव है।

सेमिनार के दौरान विभागाध्यक्ष डॉ.सी.एस.पुराहित ने टीबी मरीजों के प्रति समाज में फैली गलत धारणाओं और भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि टीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह एक इलाज योग्य बीमारी है और सही समय पर उपचार लेने से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। इस अवसर पर श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ.अतुल लुहाडिया ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को दो हफ्ते से अधिक खांसी, रात में पसीना आना, वजन कम होना या लगातार बुखार की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर इलाज मिलने से न केवल मरीज स्वस्थ हो सकता है, बल्कि समाज को भी टीबी जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है। सेमिनार में विशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्यकर्मियों ने टीबी के कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मौजूद श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ.सुनील कुमार ने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर पीएमसीएच की ओर से 24 मार्च से 31 मार्च तक विशेष चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टीबी रोगियों की निःशुल्क जांच और परामर्श दिया जाएगा। शिविर में मरीजों को एक्स-रे,बलगम की जांच और अन्य जरूरी चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(प्रपत्र संख्या-7)(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
नोटिस
पत्रावली संख्या:-32/2025/954
दिनांक- 24/3/25
वास्ते:-
नवाचार संस्थान,
सुधीरपुरम, रेल्वे स्टेशन के पास,
कपासन जिला चित्तौड़गढ़
नवाचार संस्थान,सुधीरपुरम, रेल्वे स्टेशन के पास,कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की ओर से श्री अरूण कुमावत,सचिव ने प्रपत्र-6 मय विधान के पंजीयन कराने बाबत राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-17 में आवेदन पेश किया।
अत: एव धारा 18 कि प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। आगामी पेशी तारीख 3/6/25 की रखी गयी है।
यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 34.3.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
मुहर (जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

उप कर संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक

उदयपुर । श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा नियुक्त उदयपुर जिला प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय) शमिता जैन ने संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में उपकर संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक ली।

बैठक में जैन ने श्रम निरीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक निर्माण स्थलों जैसे होटल, अस्पताल, स्कूल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर उपकर वसूली बढाई जाए। साथ ही जिन स्थानीय निकायों द्वारा उपकर की कटौती की जाकर श्रम विभाग में जमा नहीं करवाई जा रही है उन्हें भी कार्यालय से पुनः पत्र जारी किए जाएं। रेलवे में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य बाबत् उपकर राशि जमा करवाने हेतु भी श्रम निरीक्षकों को निर्देशित किया गया।

श्रमिक वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना : प्रो. सारंगदेवोत

उदयपुर । दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर के क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विवि के कुलपति सचिवालय के सभागार में सम्पन्न हुई।

प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए पदेन सचिव व क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी जगदीप सिंह ने 2024-25 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो श्रमिकों के हाथ मजबूत करने होंगे। सिंह ने ई श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की जानकारी दी।

अध्यक्षता करते हुए कुलपति एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि देश को जनना है तो हमें श्रमिक एवं गांवों को जानना होगा, उन्हे सुदृढ करना होगा। श्रमिकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें स्थायी आत्म निर्भर बनाये देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। उन्होंने कहा कि हम कितना भी तकनीक का प्रयोग कर ले, लेकिन श्रमिको के श्रम की जरूरत हर समय रहेगी। संस्थापक मनीषी पंडित नागर ने 1937 में श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ही रात्रिकालीन श्रमजीवी कॉलेज की स्थापना की। आज के समय हर घर परिवार में कार्य करने के लिए, महिला एवं पुरूष आते है जिनका पूरा जीवन अंधकार में है। आज हर व्यक्ति जो कार्य करता है वह श्रमिक है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक।

चाकूबाजी में तीन व्यक्ति घायल

उदयपुर । शहर के प्रमुख बापूबाजार नेहरूबाजार स्थित गोल मार्केट पर मामूली विवाद होने के कुछ देर बाद दो पक्षों के बीच चाकू बाजी में तीन व्यक्ति घायल हो गए। जिससे माहौल तनावपूर्ण होने से व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिये। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला शांत कराया। इस मामले में करीब चार संदिग्धों को पुलिस ने डिटेन किया है।

सोमवार सवेरे धानण्डी थाना क्षैत्र नेरूबाजार बापूबाजार स्थित गोल मार्केट पर स्कूटी व बाइक के आपस में टकराने पर दो पक्षों के बीच कहासूनी होने पर विवाद हो गया। इसको देख वहा मौजूद लोगों ने दोनो पक्षों के बीच समझाईश कर मामला शांत कर दोनों पक्षों को रवाना किया। घटना के करीब डेढ घंटे बाद वापस कुछ लोगों ने मौके पर आकर झगडा करना शुरू कर दिया। जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई।

माइनिंग संकाय के विद्यार्थियों के लिए सेमिनार

उदयपुर । पेसिफिक यूनिवर्सिटी के पेसिफिक पॉलिटेक्निक कॉलेज में माइनिंग संकाय के विद्यार्थियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। निदेशक डॉ मुकेश श्रीमाली ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रजवलन कर किया । इस कार्यक्रम मुख्य अतिथी श्री के.पी. सिंह एवं बी.के. शर्मा थे।

के.पी. सिंह ने विद्यार्थीयों को ओपन कास्ट माइनिंग के विभन्न कार्यो जैसे कि ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग आदि के बारे में बताते हुए ओपन कास्ट माइनिंग से पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को विस्तार से समझाया कि कैसे इन प्रभावों को विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रोका और कम किया जा सकता है साथ ही माइनिंग के विभिन्न नियमो की भी जानकारी दी एवं वर्तमान परिदृश्य में माइनिंग उद्योगों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान को बताया। उन्होने माइनिंग में वर्तमान में काम में ली जाने वाली तकनीकों से भी अवगत करवाया व भविष्य में नये खनिजों की खोज के महत्व तथा आवश्कताओं के बारे में भी बताया।

बी.के शर्मा ने विद्यार्थियों को माइनिंग में भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के बारे में बताया साथ ही माइनिंग में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता एवं इनके माध्यम से सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली माइनिंग को समझाया। अंत में डॉ मुकेश श्रीमाली द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया नीरज श्रीमाली ने धन्यवाद ,संचालन हेमंत वैष्णव ने किया।

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.in Ph. 02953-233526
क्रमांक /न.पा.नाथ./उप.एकी./2025/18393 दिनांक : 20.03.2025
- : आपत्ती सूचना :-
एतर्थ द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टाशुद्वा के आधार पर भूखण्डों का पूर्नगठन/उपविभाजन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर पूर्नगठन/उपविभाजन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्य था प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणो में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री नरेन्द्र मोतीलाल धाकड़ पिता श्री मोतीलाल धाकड़ा निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)	भूखण्ड संख्या-ए क्षेत्रफल 728 वर्गफिट, नया रोड, नाथद्वारा	श्री गणपत एवं श्री मोहन का भूखण्ड	श्री माधव माली की दुकान	श्रीमती अंछी बाई का मकान	30 फिट चौडा रास्ता

आयुक्त, नगपालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर निगम,उदयपुर (राज.)
टाउनहॉल लिंक रोड,उदयपुर(राज)313001दूरभाष सं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262 वेबसाईट- www.udaipurmc.org
क्रमांक:-राजस्व/24-25/608 **आपत्ति आमन्त्रण** दिनांक:24.3.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "नगर निगम विवाह स्थल पंजीयन उप नियम 2010" (अधिनियम 2009 संख्या 18) धारा 340 के तहत नगर निगम क्षेत्र में संचालित विवाह स्थल के संचालको द्वारा उपनियम के तहत विवाह स्थल का पंजीयन किये जाने हेतु नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त विवाह स्थल पंजीयन के संबंध में किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्तियां मय दस्तावेजा के सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यालय दिवस में समय पर पेश करें। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात पंजीयन कार्यवाही की जायेगी। समय पर आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर उन आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1	वाटिका का नाम	मंगलम पैलेस
2	आवेदन कर्ता का नाम	किरण चावत पत्नी स्व.श्री रमेश चावत
3	विवाह स्थल (वाटिका)	100 फीट रोड शोभागपुरा
4	क्षैत्रफल (वर्ग फीट)	13714.16

रजिस्ट्रेशन आवेदन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम, उदयपुर में निहित रहेगा।
आयुक्त-नगर निगम, उदयपुर

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

उदयपुर । निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को कलक्ट्रेट मिनी सभागार में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। राठौड़ ने ईपी रेशो, जेण्डर रेशो बढ़ाने तथा प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के संबंध में चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से निर्धारित अवधि तक बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त करने का आग्रह किया, ताकि निर्वाचन विभाग को सूचना प्रेषित करते हुए आगे की प्रक्रिया को संपादित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अब सतत प्रक्रिया है। इसमें बीएलओ के माध्यम से अथवा स्वयं भी एप के जरिए नाम जुड़वाया जा सकता है। उन्होंने सभी पात्र लोगों के नाम जुड़वाने में सहयोग का आह्वान किया। साथ ही बीएलए को निर्वाचन विभाग के पोर्टल और एप की जानकारी दिए जाने के लिए भी आग्रह किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राठौड़ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हर तीन माह में होने वाले ईवीएम वेयरहाउस निरीक्षण की जानकारी देते हुए निरीक्षण के दौरान उपस्थिति के लिए अनुरोध किया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी देहात जिलाध्यक्ष व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, भाजपा से मनीष शर्मा, जगदीश खेरालिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, डॉ संजीव राजपुरोहित, महेंद्र डामोर, लवंग मुर्डिया, दिनेश कुमार दवे, राजेश दया साहू, सुरेश औदिच्य, सीपीआई से जीएल डामोर, हिम्मत चांगवाल, बसपा से जगदीश बाबरिया, सुरेशकुमार मेघवाल, आप पार्टी से मोहम्मद हनीफ, माकपा से राजेश सिंघवी आदि उपस्थित रहे।

महिला सम्मेलन में होगें विभिन्न कार्यक्रम

उदयपुर । राजस्थान दिवस समारोह प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस बार राजस्थान दिवस पर एक सप्ताह तक विविध आयोजन होंगे। कार्यक्रमों का आगाज 25 मार्च को महिला सम्मेलन के साथ होगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि राजस्थान दिवस प्रदेशवासियों के लिए गौरव की अनुभूति का दिन है। मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि इस दिवस को यादगार बनाया जाए तथा आमजन की भी इसमें सहभागिता रहे। इसलिए एक सप्ताह तक प्रतिदिन राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न आयोजन होंगे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इन कार्यक्रमों को पूर्ण गरिमा के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, कार्यक्रमों में लाभार्थियों की सहभागिता, विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरण आदि सुनिश्चित करने को कहा।

पोस्टर चिपकाने पर निगम ने की कार्यवाही

उदयपुर । नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया है। निगम सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाएगी।

नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक/राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु कई बार अपील की गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई लेकिन निगम की अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से छात्र नेता द्वारा शहर में कई सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए जिससे शहर की खूबसूरती बिगड रही है। सोमवार को शहर में शास्त्री सर्कल, विश्वविद्यालय मार्ग आदि क्षेत्र में एक छात्र नेता द्वारा पोस्टर लगाए गए इसको लेकर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। यदि उक्त संबंधित द्वारा नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि नगर निगम द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2००9 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किया। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जो पोस्टर चिपकाए गए है उन्हें संबंधित व्यक्ति अपने स्तर पर हटा कर नियमानुसार जुर्माना राशि निगम में जमा करवा देवे। व्यक्ति विशेष द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। निरीक्षक डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगरपालिका, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक/न.पा.क./भूमि/2024-25/5943 (प्रारूप 10) दिनांक 24.03.25
लोक सूचना
इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदारों/स्वामियों द्वारा गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. सं.	नाम आवेदक/खातेदार	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1.	1. अरूण कुमार पुत्र चांदमल बाघमार 2. अशोक पुत्र चांदमल बाघमार 3. घनश्याम पुत्र सालीगरम सोनी 4. नंद किशोर पुत्र सालीगराम सोनी निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़	जिला-चित्तौड़गढ़ तहसील-कपासन	कपासन	आराजी नम्बर 7396/5917 रकबा 0.19 हैक्टेर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टेर	यानि 20244 वर्गफीट, यानि 1900 वर्गमीटर, यानि 2271.55 वर्गगज
2.	1. अरूण कुमार पुत्र चांदमल बाघमार 2. देवेश पुत्र घनश्याम सोनी 3. नंदकिशोर पुत्र सालीगरम सोनी 4. ललीता देवी पत्नी अरूण बाघमार 5. सोनम पत्नी आशीष सोनी निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ़	जिला-चित्तौड़गढ़ तहसील-कपासन	कपासन	आराजी नम्बर 5917 रकबा 0.44 हैक्टेर, एवं आराजी नम्बर 6858/6123 रकबा 0.08 हैक्टेर कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 हैक्टेर	यानि 55952 वर्गफीट, यानि 5200 वर्गमीटर, यानि 6216.88 वर्गगज

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वाक्त के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर आक्षेप है तो इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .....को जारी की गयी।
प्राधिकारी अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगरपालिका, कपासन

वार्षिकोत्सव प्रवाह 31 मार्च से

उदयपुर । रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज(आरएनटी) में एनुअल फंक्शन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार होने वाले 7 दिवसीय आयोजनों का आगाज 31 मार्च से होगा। आयोजन को लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर गांधी ग्राउंड में होगें। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. विपिन माथुर ने बताया कि वार्षिकोत्सव को प्रवाह 2025 नाम दिया गया है जिसका आगाज 31 मार्च को होगा और 6 अप्रैल तक कार्यक्रम होंगे। डॉ. माथुर ने बताया कि सात दिवसीय इस कार्यऋम में खेल कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उन्होंने बताया कि इससे हमारे बच्चे,संकाय सदस्यों में ऊर्जा का संचार होगा। चिकित्सकों का हमारा ज्यादातर समय मरीजों के बीच होता है जो जरूरी भी है और इस बीच इस आयोजन से ऊर्जा और उल्लास बढेगी। पेंटिंग और मेहंदी डिजाइन के कार्यक्रम आयोजित होंगे उन्होंने बताया कि इसमें म्यूजिक,डांस और ड्रामा,ओपन माइक, फैशन शो, मेडिकल क्विजए चित्रकला,वाद.विवाद,कविता,कहानी से लेकर कई कला के मंच मिलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में क्रिकेट,फुटबॉल, स्विमिंग, बॉस्केटबॉल,कबड्डी खेली जाएगी। साथ ही स्केचिंग,पेन टैटू बनाना,पेंटिंग,मेहंदी आर्ट के लिए भी मंच होगा।आयोजन को लेकर 31 मार्च को सुबह 6 से 8 बजे के बीच मैराथन का आयोजन कॉलेज एंट्रेस गेट से किया जाएगा।

कपासन में महिलाओं ने मनाया दशा माता पर्व

वत रखकर माता की कथा सुन कर पीपल की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की ।

कपासन । कपासन में दशा माता पर्व पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में पीपल की पूजा की। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं पूजन के लिए निकल पड़ीं। वे ढोल-धमाकों के साथ गीत गाते और नृत्य करते हुए पूजा स्थलों तक पहुंचीं।

महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखा। उन्होंने पीपल की पूजा-अर्चना की और दशा माता की कथा सुनी। पिछले 10 दिनों से चल रहा कथा श्रवण का अनुष्ठान भी पूरा हुआ।

कपासन में दशा माता पर्व पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में पीपल की पूजा की। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं पूजन के लिए निकल पड़ीं। वे ढोल-धमाकों के साथ गीत गाते और नृत्य करते हुए पूजा स्थलों तक पहुंचीं महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखा। उन्होंने पीपल की पूजा-अर्चना की और दशा माता की कथा सुनी। पिछले 10 दिनों से चल रहा कथा श्रवण का अनुष्ठान भी पूरा हुआ। कपासन में दशा माता पर्व पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में पीपल की पूजा की। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं पूजन के लिए निकल पड़ीं। वे ढोल-धमाकों के साथ गीत गाते और नृत्य किया।

मेवाड़ महोत्सव 30 से

उदयपुर । पर्यटन विभाग द्वारा आगामी 30 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होने वाले राजस्थान दिवस एवं मेवाड़ महोत्सव की तैयारी एवं आयोजन को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर मेहता ने आयोजन से जुड़े विभिन्न विभागों, होटल्स एवं अन्य संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ आयोजन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेवाड़ महोत्सव को इस वर्ष भी सफल रूप से आयोजित करने हेतु आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा की इस बार झील के विभिन्न घाटों पर विशेष साज सज्जा करें इस हेतु आसपास के होटल्स-रेस्टोरेंट आदि का भी सहयोग लिया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने जगदीश चौक एवं गणगौर घाट पर सफाई, पेयजल व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं दोनों दिन उदियापोल पुलिस विभाग को आयोजन स्थल पर महिला कांस्टेबल की नियुक्ति व सार्वजनिक निर्माण विभाग को निःशुल्क बेरीकेटिंग उपलब्ध कराने व पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से बागोर की हवेली पर रोशनी व्यवस्था व विशिष्ट अतिथियों व विदेशी पर्यटकों के लिए बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने समेत प्रतिवर्ष की भांति अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये।

राजस्थान सरकार
कार्यालय-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छापली, जिला-राजसमन्द
Email-chchhapli1@gmail.com
क्रमांक:-NRHM /लेखा/निविदा/ 2025/65 दिनांक:- 24/03/25
खुली निविदा सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि साामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापली पर दिनांक 31-03-2026 तक के लिये निम्नलिखित कार्यो के लिए पंजीकृत ठेकेदारो व अन्य विभागो से मोहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 30-03-2025 को दोपहर 12.00 बजे तक बेची जाएगी एवं उसी दिन दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 31-03-2025 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा पर "संबधित हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।

S. No.	Name Of Work	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क
1.	साफ- सफाई कार्य (सामग्री सहित)	360000	7200	200
2.	मैन विथ मशीन (एक)	150000	3000	200
3.	दवाईयां एवं जांच सामग्री	200000	3600	200

शर्ते :-
1. प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डीडी/ नकद द्वारा RMRS Chapli के नाम से देय होगी।
2. कार्य की विस्तृत जानकारी एवं शर्ते कार्यालय समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है।
3. समिति न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा किसी भी निविदा या निविदा के किसी भाग को बिना कारण बताये रद्ध करने का अधिकार सोसायटी के पास सुरक्षित होगा।

(डॉ.गिरीराज कुम्हार)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामु.स्वा.केन्द्र, छापली